न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 24/22 निर्णय दिनांकः– 19-01-26
(जीसीएमएस नम्बर 2022/85)

1. श्रीनिवास पुत्र श्री गिरधरलाल पुत्र गणेशदास जाति डागा महाजन निवासी बरसलपुर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. लक्ष्मी निवास पुत्र श्री गिरधरलाल पुत्र गणेशदास जाति डागा महाजन निवासी बरसलपुर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बज्जू।
2. अरूण डागा पुत्र स्व. श्री कुमार डागा निवासी बरसलपुर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. सावित्री डागा पत्नी स्व. श्री कुमार डागा निवासी बरसलपुर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
4. संगीता सांगवी पुत्री स्व. श्री कुमार डागा निवासी बरसलपुर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 21–05–2003
सहायक उपनिवेशन आयुक्त(प्रथम), बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री मदनमोहन रंगा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम), इ. गा.न.प.,बीकानेर के निर्णय दिनांक 21–05–2003 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा खारिज फरमाया गया के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने बहस करते हुए कथन किया कि यह कि अपीलांटान व रेस्पोडेन्ट नंबर 2 ता 4 के पिता श्री कुमार द्वारा एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.10.1993 को पेश किया गया। जिसमें अपीलांट की पुश्तैनी भूमि गणेशदास वल्द हीरालाल के नाम से खसरा नंबर 960 में 57 बीघा 10 बिस्वा भूमि थी, यह भूमि गैर खातेदारी भूमि थी, इस भूमि पर गणेशदास का संवत 2012 से लेकर 2015 तक निरन्तर कब्जा काश्त बतौर गैर खातेदार चला आ रहा था। मगर बाद में बिना किसी आधार के व बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उक्त भूमि अराजीराज दर्ज कर दी गई थी, इस बाबत् किसी भी पक्षकार को सुना नहीं गया, इस कारण अपीलांटान ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.10.1993 को दावा प्रस्तुत किया, बाद में पत्रावली वास्ते जवाब स्टेट के चलती रही। दिनांक 19.02.2003 को जबाब प्रस्तुत हुआ तथा उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय ने तनकिया कायम कर ली तथा इसके पश्चात् पत्रावली 19.03.03 व 24.04.03 को साक्ष्य वादी हेतु रखी गई थी। साक्ष्य वादी बंद किये ही नहीं गये तथा ना ही प्रतिवादी की शहादत ली गई। दिनांक 21.05.2003 को अपीलांट का दावा खारिज कर दिया गया, जबकि इसी दिन अपीलांट के वकील ने हिदायत पैरवी नहीं है, लिखित में अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया, मगर उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तिम निर्णय द्वारा दावा खारिज कर दिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.05.2003 को अपीलांट के वकील ने हिदायत पैरवी नहीं है, लिखकर दे दिया तो दावा विधि के प्रावधानों के अनुसार अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज करना चाहिए था, उसे मैरिट पर निर्णय करने का कोई अधिकार हासिल नही था, इस कारण जो आदेश पारित किया गया है जो विदआउट ज्युरिडिक्शन है एवं खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को नजरअंदाज करके निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मुताबिक इस अधिनियम के दिन जो भी काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है उसे स्वतः ही खातेदार माना जाना चाहिए, मगर इन प्रावधानों को नजरअंदाज करके अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटान का दावा ही खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब कोई शहादत नहीं थी, तो अपीलांटान के शपथ पत्र को सही माना जाना चाहिए था, क्योंकि उसके खिलाफ कोई काउण्टर शपथ पत्र नहीं था। इस कानून के प्रावधान का भी अदालत मातहत ने नजरअंदाज

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

करके आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 88 व 15एएए आरटीए की पूर्ण रूप से पालना नही की है तथा ना ही उसका सही ढंग से विश्लेषण किया है। जब किसी पक्षकार द्वारा कोई शहादत नही दी गई तो तनकियों को कैसे साबित माना जा सकता है। इस तथ्यों को भी अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट नही किया है। महज सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पीठ पीछे बिना नोटिस व सूचना दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट को अपना पक्ष रखने हेतु अवसर नही दिया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–05–2003 खारिज फरमाया जावे तथा संवत 2012 का काश्तकार होने के कारण अपीलांट को खातेदार घोषित किया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2019(1) पेज 255, आरआरडी 2003 पेज 493, आरआरटी 2018(1) पेज 557, आरआरटी 2011(2) पेज 773, आरबीजे (17) 2010 पेज 611, प्रस्तुत किये।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 ने अपीलांट के कथनो का समर्थन करते हुए कथन किया कि अगर अपीलांट की अपील स्वीकार/रिमाण्ड की जाती है तो अपीलांट को किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के पिता/पति द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 15एएए आरटीए व धारा 125, 136 के तहत प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होने के पश्चात् पत्रावली स्टेट के जवाब में चलती रही। तत्पश्चात क्षेत्राधिकार परिवर्तित होने के कारण पत्रावली न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, प्रथम में स्थानान्तरित हुई। उक्त पत्रावली स्थानान्तरण होने के पश्चात् लगातार स्टेट के जवाब में लंबित चली रही। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08–09–2000 के द्वारा पत्रावली एसीसी द्वितीय, बीकानेर को हस्तान्तरित की गई। पत्रावली न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, द्वितीय, बीकानेर में हस्तान्तरित होने के बाद दिनांक 19–02–2003 को स्टेट की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। तथा पत्रावली में नियत पेशी 21–05–2003 की जिसमें अभिभाषक वादी ने हिदायत पैरवी नही होने बाबत आदेशिका में हस्ताक्षर अंकित किये। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वर्ष 1993 से लंबित होने का हवाला देते हुए पत्रावली पर निर्णय पारित किया गया। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आरआरटी 2011(2)

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पेश किया गया है जिसमें अभिलिखित किया है कि "Duty of the Trial Court to give notice to party if no instruction is pleaded."

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी अभिभाषक द्वारा आदेशिका में इस आशय का अंकन किया गया था कि हिदायत पैरवी नही। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा तौर पर आदेश पारित किया है। इस संबंध में हमारा अभिमत यह है कि अगर वादी अभिभाषक द्वारा आदेशिका में हिदायत पैरवी का अंकन किया है तो अधीनस्थ न्यायालय का यह कर्तव्य था कि वादी को न्यायालय स्तर से नोटिस प्रेषित कर तलब किया जाता बावजूद इसके अगर वादी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होता है तो उसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाती परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से एकतरफा तौर पर आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश पुष्टी योग्य आदेश की श्रेणी में नही आता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड़ अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वादपत्र में विधिक प्रकिया को अपनाते हुए पुनः गुणावगुण पर विधि सम्मत् निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 19-01-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर